संख्या-71/2016/1078/नौ-5-16-157बजट/15

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक (एसबीएम)/निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2016

विषयः- "स्वच्छ भारत मिशन" के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों हेतु अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-318/2015/4984/नौ-5-15-157/15, दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत विभिन्न कार्यो हेतु उत्तर प्रदेश के लिए अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश की कुल धनराशि **रू0 4102.00 लाख (रू0 इक्तालिस करोड़ दो लाख मात्र)** को वित्तीय वर्ष 2015-16 में निम्नांकित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि करोड़ रूपए में)

क्र0	प्रस्तावित कार्य	अवमुक्त केन्द्रांश	अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश
1	नए घरेलू स्वच्छ शौचालयों का निर्माण कार्य	28.19	28.19
2	घरेलू पिट-युक्त शौचालयों एवं घरेलू अस्वच्छ (बहाव/उठाऊ/सर्विस) शौचालयों में परिवर्तन का निर्माण कार्य		
3	सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कार्य	9.09	9.09
4	कैपेसिटी बिल्डिंग कार्य, प्रशासनिक व कार्यालय व्यय	2.24	0.75
5	पब्लिक अवेयरनेस व आईसीसी कार्य	8.99	2.99
	योग		41.02

(रू0 इक्तालिस करोड़ दो लाख मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कोषागार/ भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर स्टेट मिशन डायरेक्टर (एसबीएम) के पदनाम से खुले राष्ट्रीकृत बैंक में स्टेट नोडल खाते में रखी जायेगी एवं उक्त स्टेट नोडल खाते से लिंक नगरीय निकायों के स्वच्छ भारत मिशन परियोजना के खोले गये खाते में अन्तरित की जायेगी।

(2) स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत यथानिर्धारित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो पर किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है। स्वीकृत धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी।

(3) स्वच्छ शौचालय के निर्माण (नए घरेलू स्वच्छ शौचालयों का निर्माण कार्य घरेलू पिट-युक्त शौचालयों एवं घरेलू अस्वच्छ (बहाव/उठाऊ/सर्विस) शौचालयों में परिवर्तन का निर्माण कार्य) हेतु लाभार्थी द्वारा 25 प्रतिशत भौतिक प्रगति करने पर ही केन्द्रांश/राज्यांश की धनराशि लाभार्थी के खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।

(4) अवमुक्त धनराशि का उपभोग भारत सरकार की गाइड-लाइन्स के अनुसार किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोई अंश बैंक/पोस्ट आफिस/पीएलए में नहीं रखा जायेगा, इसका रख-रखाव भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार किया जायेगा।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि में से रू0 670.08 लाख का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत *लेखाशीर्षक "2215-जलपूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-107-मल-जल सेवाएं-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता (के.25/रा.25-के.+रा.)-35-पूंजीगत परिसम्पित्तयों के सृजन हेतु अनुदान"* के नामें डाला जायेगा

तथा रू0 3431.92 लाख का व्यय *लेखाशीर्षक "2215-जलपूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-107-मल-जल सेवाएं-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता (के.25/रा.25-के.+रा.)-35-पूंजीगत परिसम्पित्तयों के सृजन हेतु अनुदान"* के नामें डाला जायेगा तथा इसका व्यय *लेखाशीर्षक-"2217-शहरी विकास-05-अन्य शहरी विकास योजनाएं-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-जेएनएनयूआरएम की योजनाओं हेतु सहायता-35-पूंजीगत परिसम्पित्तयों के सृजन हेतु अनुदान"* से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न : बीएम-9

भवदीय,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-71/2016/1078(1)/नौ-5-16-157बजट/15 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(वर्क्स लेखा अनुभाग) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
4- निदेशक (एसबीएम), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- सहायक निदेशक (लेखा) स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
8- निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
9- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
10- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
12- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

बी0एम0–9 (भाग–1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन
(बजट मैनुअल का प्रस्तर–158 देखें)

अनुदान संख्या व नाम–37 नगर विकास विभाग वित्तीय वर्ष: 2015–16 (धनराशि हजार ₹ में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक(15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
"2217–शहरी विकास–05–अन्य शहरी विकास योजनाएं–192–नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता–01– केन्द्र प्रायोजित योजनाएं–0102–जेएनएनयूआरएम की योजनाओं हेतु सहायता (के. 50/रा.20–के.+रा.) –35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"	1000000	343192	343192	343192	656808
योग	1000000	343192	343192	343192	656808

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक(15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
"2215–जलपूर्ति तथा सफाई–02–मलजल तथा सफाई–107–मलजल सेवाएं–01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं–0102–स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता (के.25/रा.25)–35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"	1750000	2093192	343192	343192	2093192
योग	1750000	2093192	343192	343192	2093192

1. **स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:–**
   नगर पालिका परिषदों के हेड में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष फिलहाल धनराशि की आवश्यकता न होने के कारण बचत हो रही है।
2. **स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:–**
   योजनान्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किया जाना है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर0ई0संख्या:–853 /ई–8–890 / दस–2016, दिनांक 31 मार्च, 2016

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव,
नगर विकास विभाग।

(सुभाष चन्द्र)
अनु सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या–1078(2)/नौ–5–2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– जिलाधिकारी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
3– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
4– मिशन निदेशक/निदेशक, नगर निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5– वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–8/वित्त आय–व्ययक अनुभाग–1
6– गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।